FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

जयप्रकाश ..... बनाम ओमप्रकाश .....

किस्म मुकदमा ..... 97 प.स. ..... प्रकरण सं. 12 ..... सन् 20

तारीखहुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम ज हुक्म की में जारी हुए
16/2/26	पत्रावली पेश हो। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 0.22 R3 के तहत। पक्ष द्वारा अवसर चाहे गये अवसर दिया जाकर पत्रावली नोटे 0.22 R3 के तहत। पक्ष हेतु दिनांक 13.3.26 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर शाहपुरा	
13.3.26	पत्रावली पेश। अधिवक्ता निगरानकार अनु. 1 अधि० गैर-निगरानकार उप० 1 अधि० गैर-निगरानकार की ओर प्रा० पत्र-u-151 पेश कर निवेदन किया कि कार्यवाहिका दिनांक 11.3.24 को गैर-निगरानकार सं. 1 की मृत्यु होना अंकित किया गया है परन्तु आदिकांक उसके विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने बाबत की कार्यवाही अधि० निगरानकार द्वारा नहीं की गयी है। लगभग दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त कार्यवाही नहीं करने से निगरानी स्वतः उपशमित हो चुकी है। अतः पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा-151 CPC को स्वीकार करते हुये खारिज की जाती है। पत्रावली क्रमांक प्रमाण है नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया। अति. जिला कलक्टर शाहपुरा	